

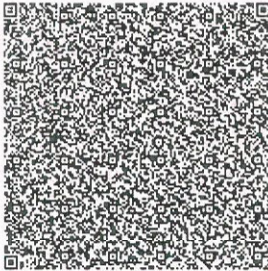


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ16595471780118P
Certificate Issued Date : 09-Oct-2017 04:07 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ rjshcil01/ AJMER I/ RJ-AJ
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJSHCIL0126211922827105P
Purchased by : MUKESH KUMAR JINDAL
Description of Document : Article 33(vii) Lease/Sale deed by Govt., ULBs or Govt. Enterprises of its own land (Male)
Property Description : KH NO 721,722,767,768,718 BALWANTA AJMER
Consideration Price (Rs.) : 12,83,238
(Twelve Lakh Eighty Three Thousand Two Hundred And Thirty Eight only)
First Party : ADA AJMER
Second Party : MUKESH KUMAR JINDAL
Stamp Duty Paid By : MUKESH KUMAR JINDAL
Stamp Duty Payable (Rs.) : 64,170
(Sixty Four Thousand One Hundred And Seventy only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 6,420
(Six Thousand Four Hundred And Twenty only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 6,420
(Six Thousand Four Hundred And Twenty only)
Stamp Duty Amount(Rs.) : 77,010
(Seventy Seven Thousand And Ten only)



Ginday



UP 0003819356

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 09 माह 10 सन् 2017 को 03:47 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री MUKESH KUMAR JINDAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MAHESH
CHAND JINDAL
उम्र 44 वर्ष, जाति AGARWAL, व्यवसाय Business
निवासी House No.:25, Colony: NASIRABAD, Area: MAIN STREET,
City: AJMER, Pin code: 305601, District: AJMER, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201701001018210

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
AJMER-I

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201702001018579
दिनांक	09-10-2017
पंजीयन शुल्क ₹	12840
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	64170
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	12840
कुल योग	90150

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design border, Anti-copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

2736
7.7.17

क्रमांक 2691

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर -कृषित प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 6 के माह 10 - 2017
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर प्रथम पक्ष एवं सु.श्री /श्री मुकेश कुमार बिंदल
पुत्र/पुत्री श्री सैदेश चंद बिंदल जाति
निवासी 25, मेन स्ट्रीट, नसीरबाद, अजमेर
..... (राजस्थान) - 305601



(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक के मध्य निष्पादित हुआ है। यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की 0 राशि अक्षरे शून्य जो लीजधारक (पट्टा) के द्वारा अदा कर दी गई और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीज धारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है), प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम बलाना के खसरा नम्बर 721/724, 767M, 768M, 718/2415M क्षेत्रफल 8268-28 वर्ग म. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी तत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्तों और करारों के अधीनखरीददार अपने उपयोग, उपभाग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय मे या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6416.19/- अंके छः हजार सत्तर अंश मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथासमिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

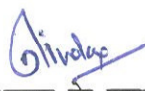
लीजधारक के हस्ताक्षर

उप पंजीयक, अजमेर प्रथम

प्रभारी अधिकारी नियमन
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकारी 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल इलाक़ी प्रयोजन, जिसकेलिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जाएगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड का भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किंतु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारी का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा और जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदायी संस्थाओं के पास भवन। निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।


लीजधारक के हस्ताक्षर




प्रभारी अधिकार नियमन
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
अजमेर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री ADA AJMER, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADA AJMER, व्यवसाय जाति Ajmer Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री MUKESH KUMAR JINDAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MAHESH CHAND JINDAL, व्यवसाय Business जाति AGARWAL House No.:25, Colony: NASIRABAD, Area: MAIN STREET, City: AJMER, Pin code: 305601, District: AJMER, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 44 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 1283238/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1283238/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री DIPTANK SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MAHESH CHAND SHARMA जाति BRAHMAN Age: 30 Add: House No.:909, Colony: GULABBADI, Area: SAI VIHAR COLONY, City: AJMER, Pin code: 305601, District: AJMER, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री GIRISH KUMAR CHATURVEDI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARAYAN CHATURVEDI जाति BRAHMAN Age: 29 Add: House No.:297, Colony: BALUPURA ROAD, Area: INDRAPRASTH NAGAR, City: AJMER, Pin code: 305601, District: AJMER, State: RAJASTHAN			Signature

201701001018210

उप पंजीयक, AJMER-I

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)



परिशिष्ट

कस्बे का नाम अजमेर पूर्व पश्चिम भुखण्ड की संख्या यदि कोई हो
राजस्व ग्राम ७७७७७ सीमा उत्तर दक्षिण मानचित्र संलग्न है ।

योजना का नाम -

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल

वर्गगज/मीटर ८२६८.२८

स्वच्छ नगर पंचायत

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् २०१७ के माह १० के ६ वे दिन

श्री ने निम्न उपस्थिति में

(स्थान) में हस्ताक्षर किये-

नगर निकाय प्रथम पक्ष
(प्रभुजीगेश्वर विकास समिति)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

साक्षी :-

१. नाम १२

पुत्र श्री १२

व्यवसाय १२

निवास स्थान १२

२. नाम १२

पुत्र श्री १२

व्यवसाय १२

निवास स्थान १२

साक्षी

साक्षी

लीज धारक की ओर से

आज सन् २० के माह

के वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में

उक्त श्री

लीज धारक द्वारा कार्यालय में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

१. नाम १२

पुत्र श्री १२

व्यवसाय १२

निवास स्थान १२

२. नाम १२

पुत्र श्री १२

व्यवसाय १२

निवास स्थान १२

साक्षी

साक्षी



Registration Endorsement

आज दिनांक 09/10/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1943 में
पृष्ठ संख्या 95 क्रम संख्या 201703001105420 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4765 के
पृष्ठ संख्या 356 से 364 पर चस्पा किया गया।

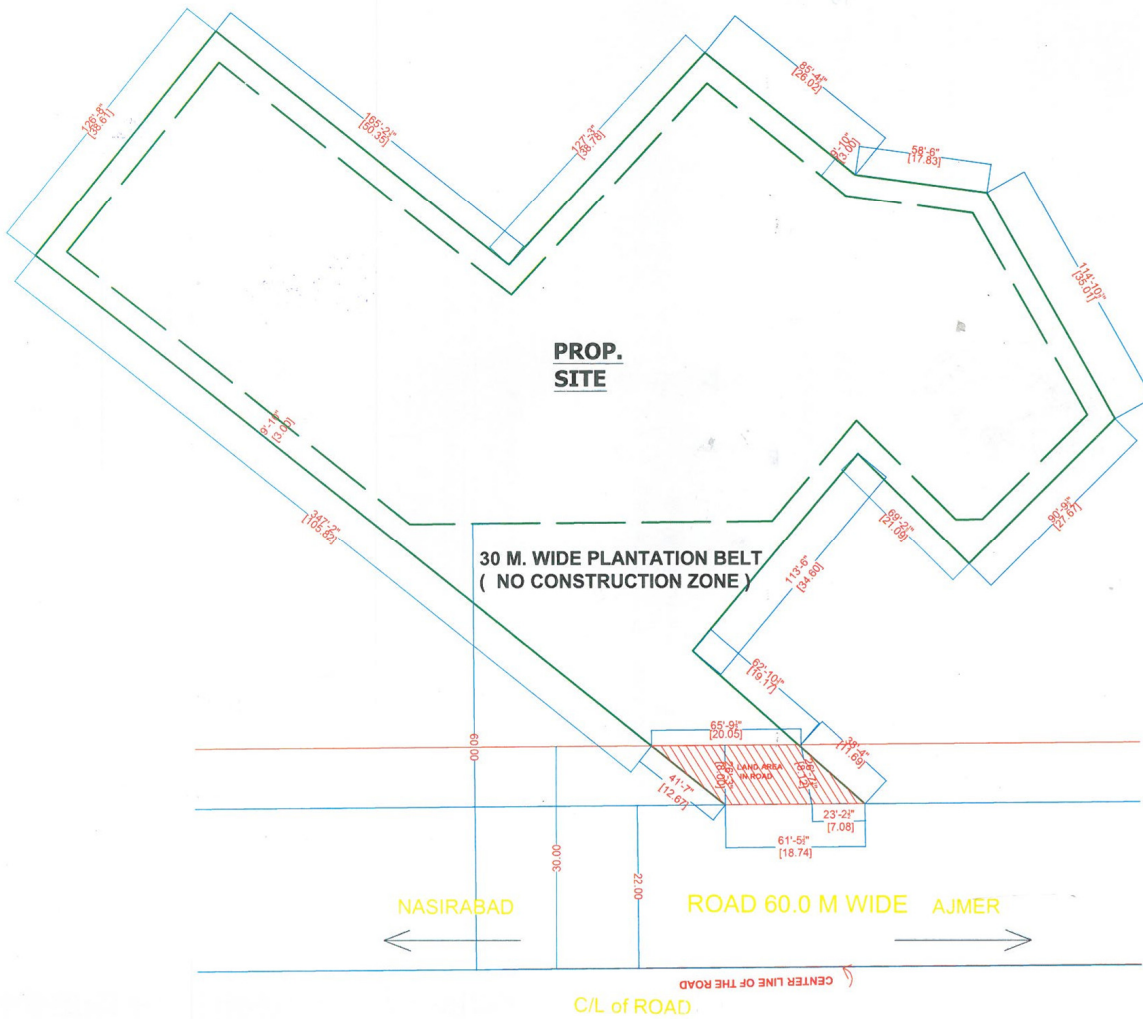
201701001018210

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप पंजीयक, AJMER-I



SITE PLAN



NOTE :-

PLOT FOR GROUP HOUSING (C.M JAN AWAS YOJNA) 2015

1. (A) TOTAL LAND AREA AS PER REV. RECORD = 7374.00 SQ.MTS.
- (B) TOTAL LAND AREA AS PER SITE = 7068.55 SQ.MTS.
- (C) LEFT FOR ROAD AREA IN 60.0 M WIDE ROAD = 155.32 SQ.MTS.
- (D) NET AREA OF PLOT = 6913.28 SQ.MTS.

2. MIN.SET BACKS:-

30	3	3	3
MT.	MT.	MT.	MT.

3. PERMISSABLE COVERAGE:- 50%

4. F.A.R.= 1.33, MAX. 2.25

5. MAX.HEIGHT = 15.0 M

6. PLOT SHOWN IN RED

7. RAIN WATER HARVESTING TANK IS COMPULSARY AS PER BUILDING BYELAWS

ALL BUILDING BYELAWS 2013 WILL BE APPLICABLE

Handwritten note: *जयपुर स्थित अजमेर की*
DR APN

APPLICANT

ARCHITECT

TPA

J.E.N

A.T.P.

A.C.T.P.

SCALE :- 1"= 60'-0"

PROPOSED SITE PLAN PUT UP UNDER C.M JAN AWAS YOJANA- 2015 SHOWING OF PLOT FOR RESIDENTIAL PURPOSE AT KH. NO. 721, 722, 767 M., 768 M. & 718/ 2415 M., AT REV. VILLAGE BALWANTA, TH. AJMER, DIST. AJMER.

**BELONGS TO:- SHRI MUKESH KUMAR JINDAL
 S/O SHRI MAHESH CHAND JINDAL**

N



9-10-17

प्रमाणित

I प्रमाणित 1943

95 वर्ष 5420

I प्रमाणित 1965

386 से 389

12

प्रमाणित, अलवर-राजस्थान